इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 335] भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 जुलाई 2013—आषाढ़ 31, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2013

क्र. बी-4-05-2013-2-पांच-(17).—यत:, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के उपंबधों के अधीन 1 अप्रैल, 2013 से 30 जून, 2013 के बीच जारी बीमा पालिसियों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को समेकित किया जा सकेगा;

अतएव, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह आदेश देती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 1 अप्रैल, 2013 से दिनांक 30 जून, 2013 तक की कालावधि के दौरान जारी की गई बीमा पॉलिसियों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को समेकित किया जा सकेगा तथा मध्यप्रदेश में किसी भी शासकीय कोषालय में निम्नलिखित शर्तों पर संदत्त किया जा सकेगा :—

(एक) बीमा की प्रत्येक पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा यह उपदर्शित किया जायेगा कि उस पर देय स्टाम्प शुल्क उपर्युक्त रीति में संदत्त कर दिया गया है. ऐसा पृष्ठांकन केवल उक्त धारा के अधीन संदत्त किए गए समेकित स्टाम्प शुल्क की राशि की सीमा तक ही किया जाएगा;

(दो) शासकीय कोषालय में रुपये 198 लाख की समेकित राशि के भुगतान के चालान की एक प्रति महानिरीक्षक, पंजीयन के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी;

(तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम उस कालावधि के, जिसके कि लिए शुल्क का समेकन किया गया है, समाप्त होने के तत्काल पश्चात्, पालिसियों की संख्या, बीमित राशि तथा पालिसियों पर संदत्त स्टाम्प शुल्की की सटीक राशि को सम्मिलित करते हुए, प्रत्येक तिमाही के अन्त में एक विवरण महानिरीक्षक, पंजीयन के कार्यालय को उपलब्ध कराएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2013

क्र. बी-4-05-2013-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक बी-4-05-2013-2-पांच-(17), दिनांक 22 जुलाई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd July 2013

No. B-4-05-2013-2-V(17).—WHEREAS, the Stamp duty chargeable under the provisions of sub-sectioin (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899) on the insurance policies issued between 1st April 2013 to 30th June 2013 may be consolidated;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), the State Government, thereby orders that the stamp duty chargeable under the said Act on insurance policies issued by Life Insurance Corporation of India during the period from 1st April 2013 to 30th June 2013 may be consolidated and paid into any Government Treasury in Madhya Pradesh on the following conditions :—

(i) Each policy of insurance shall be indicated by endorsement on that the stamp duty payable thereon has been paid in the aforesaid manner. Such endorsement shall be made only to the extent of consolidated stamp duty amount paid under the said section;

(ii) A copy of the challan of payment of consolidation amount of Rs. 198 lakhs in the Government Treasury shall be submitted in the office of Inspector General of Registration.

(iii) The Life Insurance Corporation of India, immediately after the end of the period for which consolidation of duty has been made, the statement consisting of the policy numbers sum insured and the exact amount of stamp duty paid on the policies at the end of every quarter shall provide to the office of Inspector General of Registratioin.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHAUDHARY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.